तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.8.21	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया। तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट एंव पैरोकार सरकार के के जवाब का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम समेलिया पटवार हल्का घोड़ास तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थी का नाम लक्ष्मण सिंह के नाम पर संयुक्त सहखातेदारी हकसे दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी सवंत 2073-2076 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजो एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी का नाम लक्ष्मण सिंह के बजाय भवानीसिंह नाम अंकित करवाना चाहता है जिसकी ताईद संलग्न जमाबंदी सवंत 2073-2076 खाता सं. 266 व आधार कार्ड की फोटो प्रति, सहखातेदार की सहमति, पहचान पत्र की फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, जनआधार कार्ड की फोटो प्रति, बैंक डायरी की फोटो प्रति आदि से होती है। उसी के अनुसार प्रार्थी अपना नाम लक्ष्मण सिंह के बजाय भवानी सिंह पिता सज्जन सिंह अंकित कराना चाहता है। ताकि बोलचाल एंव राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता न हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं, अत:	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:14 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	:: आदेश ::	

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम समेलिया परवार हल्का घोड़ास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल खाता संख्या 267 मे आराजी नं० 291/1, 299, 351, 387, 450, 457, 466, 492/1, 494, 495, 497/2 कुल किता 11 कुल रकबा 7.5119 हैक्टेयर एंव खाता संख्या 268 मे आराजी नं० 486 रकबा 0.0759 हैक्टेयर व खाता संख्या 151 मे आराजी नं० 1303/425, 278, 328, 420 कुल किता 04 कुल रकबा 2.7569 हैक्टेयर एंव खाता संख्या 55 मे आराजी नं० 1081 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम लक्ष्मणसिंह के बजाय भवानी सिंह पिता सज्जन सिंह अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है, उसी अनुसार भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मन्तर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:14 IST
Reason: SelfAttested